संख्या /X-2-2016-12(26)/2002

प्रेषक,

एरा0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 04 नवम्बर, 2016

विषय–राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर वन्य जीव कॉरीडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्डगांव–03 के 10 अतिरिक्त परिवारों का विस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3087/3–48, देहरादून, दिनांक 26.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर वन्य जीव कॉरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–03 में टिहरी बांध के 31 मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के 32 केतागणों सहित कुल 63 परिवारों को पूर्व में देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 की 26.00 है0 वन भूमि भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त विस्थापित करने हेतु आवंटित की गयी थी, के अतिरिक्त वर्ष 2009 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टी0एच0डी0सी0) द्वारा खाण्डगांव–03 में मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के केतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को भी संलग्न सूची के अनुसार लालपानी कक्ष संख्या–02 में ही विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2009 मे टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव–03 के मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के केतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को संलग्न सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 में उपलब्ध 2.4 है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि निम्न शर्तों के तहत आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जितनी भूमि टी0एच0डी0सी0 द्वारा तत्समय इन 10 अतिरिक्त परिवारों को विस्थापन के समय आवंटित की गयी थीः–

1. खाण्डगांव–03 के पूर्व में विस्थापित परिवारों/किसानों व वन विभाग के मध्य हुये सशर्त अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के अनुसार ही प्रश्नगत प्रकरण में विस्थापन हेतु प्रस्तावित मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के केतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा।
2. लालपानी कक्ष संख्या–02 में विस्थापितों को उपलब्ध करायी जा रही भूमि की वैधानिक स्थिति तब तक आरक्षित वन की ही रहेगी जब तक खाण्डगांव–03 में उक्त 10 अतिरिक्त परिवारों की निजी भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद न हो जाये।
3. लालपानी कक्ष संख्या–02 की वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

3— अतएव निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के स्तर से लालपा
संख्या—02 में प्रस्तावित 2.4 है0 वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव गठित कर नियमानुसार अ
अपलोड आदि की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत
से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0 रामा
अपर मुख्य

संख्या 3719 /X-2-2016-12(26)/2002 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरा
2. वन संरक्षक/निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञ

(मीनाक्षी
अपर

कार्यालय नि० रा० टा० पार्क
पंजिका क्रमांक 3642
पत्रावली संख्या 3-46(ii)
दिनांक 07-12-2016
सर्वेयर ...आ० का० करें
...आदि देखें